

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -172

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02038

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "पुष्प शिखा", प्रमोटर-मेसर्स सृजन बिल्डर्स, द्वारा-श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पता-05, सर्वमंगला भवन, निहारिका रोड, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" पुष्प शिखा" रामपुर, जिला-कोरबा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
22/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- अनावेदक द्वारा पार्टनर श्री अशोक अग्रवाल उपस्थित ।</p> <p>उनके द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10.01.2024 को अधिरोपित शास्ति की राशि 25,000/- को चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय मद में जमा कराकर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया। चालान की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न कर मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित किया जावे।</p> <p>प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं है। अनावेदक को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न किया जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>